न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 109/2019 (2019/00246) दर्ज दिनांक 10.10.2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. नानूराम पिता लालूराम निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. राधा किशन पिता घीसु ब्राह्मण निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सुरेश पिता तुलसीराम ब्राह्मण निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. उदयराम पिता मोहन लाल राव निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. सड़क परिवहन राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय 6 –ए–1, आर0सी0 व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा – राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी सं0 04:– श्री महेन्द्र कुमार बापना
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–20.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4677/3 रकबा 0.0503 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0503 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 493 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्णित खा[illegible] 4677/3 के खातेदार कौन है यह तथ्य प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] स्वामित्व की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता हैं तो [illegible] नहीं है। विपक्षी संख्या 5 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः देही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 109 / 2019 (2019 / 00246)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई गैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4677 / 3 रकबा 0.0503 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0503 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 493 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner